

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़
(पीठासीन अधिकारी जमवारामगढ़)

पीठासीन अधिकारी :- जमवारामगढ़

श्री मति दयाकंठी देवी परीत लोकोत्तम
किशोरी शास्त्री देवी परीत सिन्धी लाल
1416 गंगापुर के पास जमपुर

उनवान
बनाम

1- सुनीता देवी परीत रामकुमार
मति वागडा शाहण निवासी
भागपुरकला तहसील जमवारामगढ़
(जमपुर)

मुकदमा नम्बर :- 80/RT/14
निर्णय दिनांक :- 14/3/2019

वादी की ओर से

प्रतिवादी राज

श्री राधेश कुमार परीत (उपकी व प्रतिवादी की ओर से) की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8/8/19 को (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ के समक्ष उपस्थित हो निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि :-

अतः राजीनामा के आधार पर
वदिद्या का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 188
खसरा 2 वीछा 4 विस्वा स्थित ग्राम भागपुरकला तहसील
जमवारामगढ़ जिला जमपुर में भूखे पुत्र महादेव एवं सुनिता
परीत रामकुमार के नाम दल हैसियत 1/3 के अंश पर वदिद्या
को स्वतंत्र काश्तकार घोषित किया जाकर वदिद्या का
नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में भूखे पुत्र महादेव एवं
सुनिता परीत रामकुमार हैसियत 1/3 के अंश पर बतौर स्वतंत्र
काश्तकार एवं भूमि प्राप्त के कोदेय प्रमाण किया जाते है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
मुदई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वजूह सबुत		
स्टाम्प वजूह सबुत			महन्तानावकील		
महन्तानावकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			बबतहजराय हुक्मनामा		
बबतहजराय हुक्मनामा			मुत0		
मुत0			मिलान		
मिलान					

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

